

शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण (वर्ष 2013-14)

पाठ्यक्रम समूह	देय छात्रवृत्ति की राशि		
	मासिक निर्वाह भत्ता		अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति
	गैरछात्रावासी	छात्रावासी	
2	3	4	5
<p>समूह-1 औषधि (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों), इंजी. प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकि. एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस विक्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यू. अनुप्रयोग/ विज्ञान, वाणिज्यिक, पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्थानांतकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम (एम. फिल, पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान)</p>	550/-	1200/- इंजी.मेडी. छात्रों के लिए 1500/-	2.00 लाख आयसीमा के विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालयों में ली जा रही अनिवार्य शुल्कों की सीमा तक 2.00लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क निर्वाह भत्ता नहीं
<p>समूह-2 समूह-1 में शामिल न किए गए अन्य व्याव. तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम. फिल, पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान) स्तरीय पाठ्यक्रम सी ए/आई सी डब्ल्यू ए/सी एस आदि पाठ्यक्रम सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण-पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम ।</p>	530/-	820/-	2.00 लाख आयसीमा के विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालयों में ली जा रही अनिवार्य शुल्कों की सीमा तक 2.00लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क निर्वाह भत्ता नहीं
<p>समूह-3 स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)</p>	300/-	570/-	2.00 लाख आयसीमा के विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालयों में ली जा रही अनिवार्य शुल्कों की सीमा तक 2.00लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क निर्वाह भत्ता नहीं
<p>समूह-4 समूह-2 या 3 में शामिल न किए गए 10+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम आई.टी.आई पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (यदि पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मैट्रिकुलेशन हो)।</p>	230/-	380/-	2.00 लाख आयसीमा के विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालयों में ली जा रही अनिवार्य शुल्कों की सीमा तक 2.00लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क निर्वाह भत्ता नहीं